न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 62/2018

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. राजेन्द्र कुमार पुत्र चानन राम 2. श्योदत पुत्र चानन राम 3. राजेन्द्र कुमार पुत्र इमीलाल 4. राधेश्याम पुत्र राजेन्द्र कुमार 5. कमला पत्नि राजेन्द्र कुमार सभी जातियान जाट निवासीगण 36 एच नग्गी तहसील श्रीकरणपुर		1. राजा राम पुत्र रामरख 2. साहब राम पुत्र रामरख 3. मनोहरी पत्नि जगदीश 4. देवीलाल पुत्र रामरख (मृतक) सभी जातियान जाट निवासी 36 एच 4/1.बरजी पत्नि देवीलाल 4/2. दयाला राम पुत्र देवीलाल 4/3. बिमला पुत्री देवीलाल 4/4.शारदा पुत्री देवीलाल 4/5.कृष्णा पुत्री देवीलाल जातियान जाट निवासीगण 42 एच 4/6.झाबर मल पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी 12 टीके तहसील रायसिंहनगर 5. बद्री राम पुत्र रामरख 6. सावित्री पुत्री रामरख 7. लक्ष्मी पुत्री रामरख 8. भागवन्ती पुत्री रामरख सभी जातियान जाट निवासी 36 एच 9. मदो पत्नि हर सिंह जाति रायसिख निवासी 16 एस (मृतक) 10. वजीर सिंह पुत्र हर सिंह जाति रायसिख निवासी केकरवाली तहसील हनुमानगढ (मृतक) 11. जंगीर सिंह पुत्र हर सिंह जाति रायसिख निवासी 16 एस (मृतक) 12. बीबी पुत्री हर सिंह (मृतक) 12/1अमरी देवी पुत्री मुंशा सिंह 12/2 लालचन्द पुत्र मुंशा सिंह 12/3 बुधी देवी पुत्री मुंशा सिंह 12/4 रेशमा पुत्री मुंशा सिंह 12/5महेन्द्र सिंह पुत्र मुंशा सिंह 12/6 छिन्द्रपाल सिंह पुत्र मुंशा सिंह 12/7 कलवन्त सिंह पुत्र मुंशा सिंह सभी जातियान रायसिख निवासीगण 36 एच नग्गी तहसील श्रीकरणपुर 13. केहर सिंह पुत्र हरसिंह जाति [illegible] 16 एस 14. [illegible] पुत्र [illegible]सिंह जाति रायसिख निवासी [illegible] तहसील रायसिंहनगर 15. [illegible] हरसिंह जाति रायसिख निवासी [illegible] तहसील घडसाना 16. मुन्[illegible]ी हरसिंह जाति रायसिख निवासी [illegible]नुआ तहसील हनुमानगढ 17. बलविन्द्र सिंह पुत्र वीर सिंह जाति जटसिख निवासी 16 एस 18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्री करणपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:53:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

15/04/21
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

राजेन्द्र कुमार आदि बनाम राजा राम आदि

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,53 आरटीए, प्रकरण संख्या 62/2018

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः 1.श्री संजय गुप्ता, कुलदीप बाना अधिवक्ता वादीगण

--निर्णय-- दिनांक : 15/04/21

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के नाम चक 15 एस की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 2075 के खाता संख्या 161/144 के मु.न. 81,82,85,107,186/18,186/27,186/29 में कुल 11.790 हैक्टर नहरी भूमि में से 3.163 हैक्टर नहरी भूमि अर्थात 12 बीघा 10 बिस्वा नहरी भूमि राजस्व रिकॅार्ड में दर्ज है। यह वादगत भूमि साझा खाता की भूमि होने के कारण भूमि सम्बन्धी कार्य में हमेशा असुविधा का सामना करना पडता है। खाता विभाजन हेतु वादीगण ने बार-बार प्रतिवादी एवं भूधारक को कहा, वे सदैव टाल-मटोल करते रहे। वादीगण ने अंतिम बार दिनांक 20.05.2018 को खाता विभाजन का निवेदन किया तो वे कतई इन्कार हो गये, यही वाद कारण है। इस खाता में वादीगण के नाम कुल 3.163 हैक्टर अर्थात 12 बीघा 10 बिस्वा नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। वादीगण इस भूमि का खाता विभाजन अन्य खातेदारों से किला वाईज विभाजन करवाना चाहते है। वादीगण के कब्जा काश्त में इस खाता संख्या 161/144 के मु.न. 107 के किला न. 3 में 0.228 है., 4 में 0.228 है., 5 में 0.228 है., 6 में 0.253 है., 7 में 0.253 है., 8 में 0. 253 है., 11/1 में 0.127 है., 11/2 में 0.075 है., 12 में 0.253 है., 13 में 0.253 है., 14 में 0.253 है., 15 में 0.253 है., 16 में 0.253 है., 17 में 0.253 है. कुल 3.163 हैक्टर भूमि है। इस भूमि के किला वाईज खातेदारी की घोषणा करवाना चाहते है। जिसके वादीगण अधिकारी है। उक्त खाता में प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 तक सहखातेदार होने से औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 20 भूधारक होने से औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार मे है जो पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 15 एस के खाता संख्या 161/144 के मु.न.107 के किला न. 3 में 0.228 है., 4 में 0.228 है., 5 में 0.228 है., 6 में 0.253 है., 7 में 0.253 है., 8 में 0.253 है., 11/1 में 0.127 है., 11/2 में 0.075 है., 12 में 0.253 है., 13 में 0.253 है., 14 में 0.253 है., 15 में 0.253 है., 16 में 0.253 है., 17 में 0.253 है. कुल 3.163 हैक्टर खातेदारी रकबा की खातेदारी घोषणा कर तदनानुसार खाता विभाजन किया जावे। अन्य कोई अनुतोष हो तो वादीगण को दिलवाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:53:15 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1,2,3,4/1,4/2,10,13,16,17,14, की तलवी विधिवत रूप से होने के बावजूद उपस्थित नही आने पर एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 9,11,12 के सम्मन पर रिपोर्ट प्राप्त हुई की इनकी मृत्यू हो चुकी है। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 9 के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 9 मदो पत्नि हर सिंह की मृत्यू हो चुकी है। जिसके कानूनी एवं ज़ायज वारिस पूर्व में पत्रावली में पक्षकार है इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 11 जंगीर सिंह पुत्र हरसिंह के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि उक्त जंगीर सिंह व उसकी पत्नि की लाऔलाद मृत्यू हो चुकी है। मृतक जंगीर सिह के कानूनी वारिस उसके भाई बहन है। जो पूर्व में पत्रावली में पक्षकार है। मृतक मदो एवं मृतक जंगीर सिंह के इनके अलावा अन्य कोई पक्षकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 12 बीबी पुत्री हरसिंह के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 12 बीबी पुत्री हर सिह की मृत्यू हो चुकी है। राजपैरोकार के द्वारा जवाब स्टेट पेश किया गया। जिसके अनुसार मद संख्या 1 स्वीकार, 2 रिकॉर्ड आधारित है, 3 अस्वीकार, 4 स्वीकार, 5 रिकॅार्ड तक स्वीकार शेष अस्वीकार, 5 कानूनी है, 7 स्वीकार है, 8 कानूनी है, नकल

15/04/21
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

राजेन्द्र कुमार आदि बनाम राजा राम आदि

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,53 आरटीए, प्रकरण संख्या 62/2018

वादी अधिवक्ता को दिलाई गई। वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 11 वजीर सिह पुत्र हर सिह व प्रतिवादी संख्या 12 बीबी पुत्री हर सिह की मृत्यू हो चुकी है। वादी की तरफ से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपसी मृतक जंगीर सिह व वीवी के वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने के लिए पेश किया गया। जिसमें सहवन से दर्ज हो गया कि प्रतिवादी सख्या 11 व 12 के वारिसान पूर्व में पत्रावली में पक्षकार है यह एक लिपिकीय त्रुटि है जिसे सही किया जाना न्यायोचित है। इनके समस्त वारिसान की तलबी जरिए अखबार हो चुकी है। प्रतिवादी संख्या 11 जंगीर सिह पुत्र हर सिह, प्रतिवादी संख्या 9 मदो पुत्र हर सिंह व प्रतिवादी सख्या 12 बीबी पुत्री हर सिह को पत्रावली में मृतक दर्ज किया जावे। संशोधित शीर्षक भी प्रतिवादी संख्या 9,11,12 के समस्त वारिसान का पेश किया गया है। अतः प्रतिवादी संख्या 11 व 12 की तरफ से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 22 नियम 4 सीपीसी में दर्ज प्रतिवादी संख्या 11 व 12 के वारिसान पत्रावली में पूर्व में पक्षकार है, को हटाया जाकर सही किया जाए। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वादी अधिवक्ता को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्तानुसार संशोधन किए जाने के आदेश दिए गए। वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश [illegible] नियम 17 सीपीसी बाद सुनवाई स्वीकार किया गया। लाल स्याही से संशोधन किया गया।

[illegible] अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण मे सभी पक्षकारो के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके है। इसलिए प्रकरण मे प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 15 एस के खाता संख्या 161/144 के मु.न.107 के किला न. 3 में 0.228 है., 4 में 0.228 है., 5 में 0.228 है., 6 में 0.253 है., 7 में 0.253 है., 8 में 0.253 है., 11/1 में 0.127 है., 11/2 में 0.075 है., 12 में 0.253 है., 13 में 0.253 है., 14 में 0.253 है., 15 में 0.253 है., 16 में 0.253 है., 17 में 0.253 है. कुल 3.163 हैक्टर भूमि में वादी संख्या 1 ता 5 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण अपनी आराजी का बाई- मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण संख्या 1 ता 5 को अपने हक हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि राजस्व ग्राम 14 एस, पटवार हलका- 14 एस (माझीवाला) तहसील श्री करणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 161/144 के मु.न.107 के किला न. 3 में 0.228 है., 4 में 0.228 है., 5 में 0.228 है., 6 में 0.253 है., 7 में 0.253 है., 8 में 0.253 है., 11/1 में 0.127 है., 11/2 में 0.075 है., 12 में 0. 253 है., 13 में 0.253 है., 14 में 0.253 है., 15 में 0.253 है., 16 में 0.253 है., 17 में 0.253 है. कुल 3.163 नहरी भूमि वादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवारा करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे, तथा शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार श्री करणपुर को बंटवारा करवाने हेतु अधिकृत किया। तहसीलदार श्री करणपुर द्वारा अपने पंत्राक 10233 दिनांक 18.08.02020 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात बंटवारा रिपोर्ट/प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की। सामिल पत्रावली की गई।

15/04/21

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:53:15 IST
Reason: SelfAttested

राजेन्द्र कुमार आदि बनाम राजा राम आदि

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,53 आरटीए, प्रकरण संख्या 62/2018

प्रतिवादीगण बाद तामील उपस्थित नही होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। बहस अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा विभाजन प्रस्ताव एवं पालना रिपोर्ट का अध्ययन एंव अवलोकन किया। विभाजन प्रस्ताव में यह उल्लेखित किया गया है कि मुरब्बा नम्बर 107 के किला नम्बर 11/1 रकबा 0.127 हैक्टर व किला नम्बर 11/2 रकबा 0.075 हैक्टर कुल 0.202 हैक्टर नहरी भूमि पर विवाद है। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने आदेशिका पर इस आशय के हस्ताक्षर किये कि विवादित भूमि को छोडकर विभाजन किया जावे। हस्तगत प्रकरण में वादीगण की 3.163 हैक्टर भूमि हक हिस्से की मुताबिक जमाबन्दी बनती है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव 2.961 हैक्टर नहरी भूमि का विभाजन करना हम उचित/विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः माफिक बंटवारा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि राजस्व ग्राम चक राजस्व ग्राम 14 एस, पटवार हलका- 14 एस (माझीवाला) तहसील श्री करणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 161/144 के मु.न.107 के किला न. 3 में 0.228 है., 4 में 0.228 है., 5 में 0.228 है., 6 में 0.253 है., 7 में 0.253 है., 8 में 0.253 है., 12 में 0.253 है., 13 में 0.253 है., 14 में 0.253 है., 15 में 0.253 है., 16 में 0.253 है., 17 में 0.253 है. कुल 2.961 हैक्टर नहरी भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:53:15 IST
Reason: SelfAttested

क्र. स.	नाम खातेदार मय वल्दियत सकूनत	मु. न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	राजेन्द्र कुमार पुत्र चाननराम (0.049 हैक्टर), श्योदत पुत्र चाननराम (1.234 हैक्टर) राधेश्याम पुत्र राजेन्द्र कुमार(1.184 हैक्टर), कमला पत्नी राजेन्द्र कुमार(0.371 हैक्टर) सभी जातियान जाट निवासीगण 36 एच नग्गी राजेन्द्र कुमार पुत्र इमीलाल (0.123 हैक्टर) जाति जाट निवासी 13 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर	107	3	0.228 हैक्टर	नहरी	1.58
			4	0.228 हैक्टर	नहरी	1.58
			5	0.228 हैक्टर	नहरी	1.58
			6	0.253 हैक्टर	नहरी	1.75
			7	0.253 हैक्टर	नहरी	1.75
			8	0.253 हैक्टर	नहरी	1.75
			12	0.253 हैक्टर	नहरी	1.75
			13	0.253 हैक्टर	नहरी	1.75
			14	0.253 हैक्टर	नहरी	1.75
			15	0.253 हैक्टर	नहरी	1.75
			16	0.253 हैक्टर	नहरी	1.75
			17	0.253 हैक्टर	नहरी	1.75

शेष 0.202 हैक्टर नहरी भूमि सभी वादीगण की आनुपातिक रूप से क्रमशः राजेन्द्र कुमार पुत्र चानन राम 0.004 हैक्टर, श्योदत पुत्र चानन राम 0.084 हैक्टर, राजेन्द्र कुमार पुत्र इमीलाल 0.008 हैक्टर, राधेश्याम पुत्र राजेन्द्र कुमार 0.081 हैक्टर, कमला पत्नी राजेन्द्र कुमार 0.025 हैक्टर शेष खाते में बदस्तूर रहेगी। शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

<u>राजेन्द्र कुमार आदि बनाम राजा राम आदि</u>

<u>वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,53 आरटीए, प्रकरण संख्या 62/2018</u>

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

15/04/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर / श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 15/04/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

15/04/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर / श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:53:15 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री लाखाराम आर.ए.एस.

राजेन्द्र कुमार आदि बनाम राजा राम आदि

धारा अन्तर्गत **88, 53 आरटीए** मुकदमा नं. **62/2018**

निर्णय दिनांक :- 15.04.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **अधिवक्ता वादी अधिवक्ता श्री संजय गुप्ता, कुलदीप बाना** पेश होकर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि –

वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चक राजस्व ग्राम 14 एस, पटवार हलका-14 एस (माझीवाला) तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 161/144 के मु.न.107 के किला न. 3 में 0.228 है., 4 में 0.228 है., 5 में 0.228 है., 6 में 0.253 है., 7 में 0.253 है., 8 में 0.253 है., 12 में 0.253 है., 13 में 0.253 है., 14 में 0.253 है., 15 में 0.253 है., 16 में 0.253 है., 17 में 0.253 है. कुल 2.961 हैक्टर नहरी भूमि का विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम [illegible]	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	राजेन्द्र कुमार पुत्र चानन राम (0.049 हैक्टर), श्योदत पुत्र चानन राम (1.234 हैक्टर) राधेश्याम पुत्र राजेन्द्र कुमार (1.184 हैक्टर), कमला पत्नी राजेन्द्र कुमार (0.371 हैक्टर) सभी जातियान जाट निवासीगण 36 एच नग्गी राजेन्द्र कुमार पुत्र इमीलाल (0.123 हैक्टर) जाति जाट निवासी 13 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर	107	3	0.228 हैक्टर	नहरी	1.58
			4	0.228 हैक्टर	नहरी	1.58
			5	0.228 हैक्टर	नहरी	1.58
			6	0.253 हैक्टर	नहरी	1.75
			7	0.253 हैक्टर	नहरी	1.75
			8	0.253 हैक्टर	नहरी	1.75
			12	0.253 हैक्टर	नहरी	1.75
			13	0.253 हैक्टर	नहरी	1.75
			14	0.253 हैक्टर	नहरी	1.75
			15	0.253 हैक्टर	नहरी	1.75
			16	0.253 हैक्टर	नहरी	1.75
			17	0.253 हैक्टर	नहरी	1.75

शेष 0.202 हैक्टर नहरी भूमि सभी वादीगण की आनुपातिक रूप से क्रमशः राजेन्द्र कुमार पुत्र चानन राम 0.004 हैक्टर, श्योदत पुत्र चानन राम 0.084 हैक्टर, राजेन्द्र कुमार पुत्र इमीलाल 0.008 हैक्टर, राधेश्याम पुत्र राजेन्द्र कुमार 0.081 हैक्टर, कमला पत्नी राजेन्द्र कुमार 0.025 हैक्टर शेष खाते में बदस्तूर रहेगी। शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा

आज दिनांक 29/04/2021 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:53:15 IST
Reason: SelfAttested

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	500	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	504	00	योग	00	00

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांकः २१/०५/२०२१

क्रमांकः राजस्व/2021/196
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:53:15 IST
Reason: SelfAttested